न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 09/2015
उनवान मुकदमा

1—तोलीया पिता श्री रूपा, जाति भील ,उम्र वयस्क ,निवासी धामनिया पोस्ट गामडी,तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

वादीगण

बनाम

1—श्री रंगजी पिता श्री मानेंग ,जाति भील ,उम्र वयस्क,निवासी धामनिया पोस्ट गामडी ,तहसील व जिला बांसवाडाकलिया (राज)
2—श्री होकमा पिता श्री मानेंग ,जाति भील ,उम्र वयस्क,निवासी धामनिया पोस्ट गामडी ,तहसील व जिला बांसवाडाकलिया (राज)
3. तहसीलदार बांसवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,,209 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 17.02.2020

अभिभाषक मुकेश द्विवेदी
(एक तरफा सुनवाई)

वादी ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पैतृक संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य का संवत् 2049—2050 खाता नम्बर 49 नया, 57 पुराना ,के सर्वे नम्बर 409, 410, 411, 644/412, 699/412 में कुल खेत 05,कुल रकबा 09 बीघा लगानी 12.87 पैसा वाकें गांव सेवना पटवार हल्का निचला घण्टाला ,तहसील व जिला बांसवाडा (राज) मे स्थित होकर वादी व प्रतिवादी सेख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं एवं संयुक्त रूप से राज्य सरकार में लगान भी अदा करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त भूमि के मूल पुरूष नाथीया वल्द गलिया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा थे । मूल पुरूष नाथीया वल्द गलिया का सजरा में नाथीया वल्द गलिया के दो पुत्र रूपा व मानेग है । रूपा के एक पुत्र तोलिया है व मानेंग के दो पुत्र रंगजी व होकमा है । वादी के वादग्रस्त खाते की कृषि भूमि संवत 2040 से 2050 खाता नम्बर 49 नया व 57 पुराने खाते की जमाबन्दी में रूपा पिता श्री नाथीया के स्थान पर मावजी पिता श्री नाथीया दर्ज किया हैं । जबकि वादी के पिता का नाम रूपा है तथा वादी के पिता रूपा का दिनांक 17.05.1993 को देहवसान हो गया है वादी अपने पिता रूपा के फौत होने के बाद अपने नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज कराने पटवारी साहब के पास गया तब पटवारी साहब ने बताया कि तेरे पिता रूपा के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में मावजी दर्ज हो गया हैं। जिस पर पटवारी साहब ने हिदायत दी की वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के लिए न्यायालय से शुद्वि करना आवश्यक हैं । जबकि वादग्रस्त भूमि में वादी अपने पिता रूपा के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु मावजी के स्थान पर रूपा के नाम से खाते में शुद्वी करना आवश्यक है, एवं वादी के नाम प्रविष्ठियों का अंकन कर राजस्व रेकार्ड में बतौर बहैसियत खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु यह वाद धारा 88—209 आर.टी.एक्ट के तहत पेश है । वादी के पिता रूपा के स्थान पर मावजी नाम दर्ज कर प्रविष्ठीयां की है, जिसकी शुद्वि जाना आवश्यक जिस कारण वादी ने राजस्व नकल प्राप्त कर रिकार्ड में शुद्विकरण करने हेतु वाद पेश हुआ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पैतृक संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य का संवत 2049 से 2050 खाता नंबर 49 नया 57 पुराना के सर्वे नंबर 409 ,01 बीघा,19 बिस्वा, सर्वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2022.11.14 10:44:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

नंबर 410 ,01 बीघा,13 बिस्वा,सर्वे नंबर 411 ,04 बीघा , 15 बिस्वा , सर्वे नंबर 644/412 , 19 बिस्वा , 699/412 , 10 बिस्वा कुल खेत 05 ,कुल रकबा 09 बीघा लगानी 12.87 पैसा वाके गांव सेवना पटवार हल्का निचला घण्टाला ,तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिक्री सादिर फरमावे व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 3 को देवे । पत्रावली में प्रतिवादीयों के नाम दिनांक 26.03.15 को तलबाना पेश किया गया तामील सम्मन लेने से इंकार करने से दो मौत वीरान के समक्ष चस्पागीं की गई जो सलग्न है । पत्रावली मे वादी ने फर्द दस्तावेज पेश किये जिनमें जमाबन्दी 1– में सागतलाई लोधा खाता सख्या 78 नया व पुराना 60 संवत 2060–2070 में मानेंग मावजी पिता नाथीया भील सा.देह खातेदार कुल खेत 5, जिसका क्षैत्रफल 09 बिघा ,कृषक द्वारा संदत्त लगान रूपया 12.45 प्रदर्श सात दिनांक 29.01.2016 जमाबन्दी गग्रम सेवना पटवार हल्का निचला घण्टाला खाता संवत 2049–2052 मानेंग ,मावजी पिता नाथीया भील स.दे कुल खसरा नंबर 5, रकबा 09 बीघा लगानी 12.87 पैसा वाके गांव सेवना पटवार हल्का निचला घण्टाला,तहसील व जिला बांसवाडा 3– जमाबन्दी सेटलमेन्ट सम्वत 1939–40 में नाथीया वल्द गलीया जाति भील साकीन सागतलाई प्रदर्श– 2 दिनाक 29.01. 2016 के साथ ही प्रदर्श –3 ,प्रदर्श –4 प्रदर्श – 5, प्रदर्श – 6 का अवलोकन किया ।

भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी से तथ्यो की जांच करवाई गई। मौका पर्चा भू. अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.07.2016 को पटवारी गिरदावर से कराई जांच मौका पर्चा व रिर्पोट अनुसार गग्रम सागतलाई में मृतक नाथिया के दो पुत्र रूपा व मानेंग है । नाथीया का मावजी नाम का कोई पुत्र नही है । नाथिया के दोनो पुत्र रूपा व मानेंग फोत हो चूके है । वादी तोलीया रूपा का पुत्र है तथा प्रतिवादी रंगजी व होमा,मानेग के पुत्र है । मौका पर्चा पत्रावली में सलग्न है वादी तोलिया पिता रगजी निवासी धामनिया तहसील बासवाडा द्वारा अपने कथन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया उसमें कथन किया की मेने सुन–समझा कर अपनी अगुंठा निशानी की है । मैने वाद–पत्र मेरी पैतृक सयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य का खाता संख्या संख्या 49 (नया), 57 पुराना संवत 2049 से 2052 का पेश किया है । वादग्रस्त आराजी में वादी प्रतिवादी के दादा नाथिया वल्द गलिया के नाम खतौनी सेटलमेनट 1939 से चला आ रहा है । हम भी प्रतिवादीगण के साथ सयुक्त खेती करते है । मेरे दादा नाथिया के फौत होने के बाद मेरे पिता रूपा के नाम के स्थान पर सहवन से मावजी लिख दिया मेरे पिता रूपा की मृत्यु के बाद मेरे नाम से नामान्तकरण खोलने पर पता चला कि वादग्रस्त आराजी में मेरे पिता रूपा का नाम दर्ज नही है । हमारा नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने यह दावा पेश किया । मौके पर वर्तमान में भी प्रतिवादीगण के साथ काश्त करते चले आ रहे है दावे के साथ जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 प्रदर्श –1 है मेरे दादा नाथिया के नाम की सेटलमेनटी खतोनी सन 1934–40 प्रर्दश –2 है नामान्तरण संख्या 18 प्रदर्श –3 है । जमाबन्दी सवंत 1936–39 है ।जमाबन्दी संवत 2025 से 27 प्रदर्श –6 है । जमाबन्दी सवंत 2069 से 72 प्रदर्श –7 है ।

भू अभिलेख निरीक्षक , हल्का पटवारी द्वारा मौका जांच रिर्पोट में वाद पत्र में वर्णित गांव के मौतविरान को तलब कर जांच की गई । मृतक नाथीया के दो पुत्र रूपा व मानेंग है तथा नाथीया का मावजी नाम का पुत्र नही होकर दोनो पुत्र रूपा व मानेंग फोत हो चूके है वादी तोलीया रूपा का पुत्र है तथा प्रतिवादी रंगजी व होकमा ,मानेंग के पुत्र है । मौका पर्चा रिर्पोट पत्रावली संलग्न है ।

प्रकरण में प्रतिवादी 1 व 2 उपस्थित नही आए , तामील संमन लेने से इंकार न्यायालय में दिनांक 08.01.2020 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये गये ।

वाद में बहस दिनांक 08.01.2020 को समायत की गई , अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में दिये गये कथनों को ही दोहराया मैने बहस में दिये गये तथ्यो ,वाद पत्र में दिये गये तथ्यो, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो, वादी संख्या 1 के साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में दिये गये तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक मनन [illegible] । वादी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, यह सही है कि ग्राम सेवना पटवार हल्का निचला घंटाला के नामांतरण संख्या 18 में नाथीया पिता गलिया फौत होने से [illegible] वारिसान [illegible] व मावजी के नाम वाद ग्रस्त भूमि का नामान्तकरण स्वीकृत हुआ तथा उक्त नामान्तरकरण से भूमि जमाबंदी में मानेंग व

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2022.11.14 10:44:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

मावजी नाम से दर्ज हुई , जो आ दिनांक तक चली आ रही है, यह प्रमाणित है, कि नाथीया के मावजी नाम का कोई पुत्र नही था नाथीया के दो पुत्र रूपा व मानेंग ही थे । वादी का वाद प्रमाणित होता है । अतः सहखातेदार बनने वाद स्वीकार योग्य है ।

आदेश

सम्पूर्ण विवेचन, वाद पत्र उसके साथ संलग्न दस्तावेजों,साक्ष्य व प्रदर्शो व बहस में दिये गये तथ्यो के आधार पर ग्राम सेवना के संवत 2049 से 2050 की जमाबन्दी के खाता नंबर 49 व नया 57 मे दर्ज आराजी नंबर 409, 410, 411, 644/412, 699/412 कुल खेत 5 रकबा 9 बीघा मे वादी के पिता का नाम मावजी गलत दर्ज हो जाना प्रमाणित पाये जाने से मावजी की जगह रूपा पिता नाथीया दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है ।

पत्रावली में डिक्री पर्चा जारी हो।निर्णय खुले न्यायालय दिनांक 17.02.2020 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शूमार हो नम्बर से कम की जावे ।

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2022.11.14 10:44:20 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2020.03.02 12:25:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: